

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

संशोधित आदेश

विषय:- स्थानान्तरण मामलों में माननीय न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से प्राप्त स्थगन आदेश के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2039 दिनांक 28.10.16 के बिन्दु संख्या 3 में निम्न संशोधन किया जाता है:-

सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक को कार्यग्रहण कराते हुए तत्काल पूर्ण सूचना मय दस्तावेज निदेशालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यग्रहण कराने से सात दिवस के भीतर निदेशालय में सूचना प्रेषित नही कराने पर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।


६/१०
(डॉ. अजय गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक:- २३३-२३५२

दिनांक:- २५-११-१६

प्रतिलिपि:- :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग.....
2. वेबसाइट प्रभारी निदेशालय पशुपालन विभाग, राज. जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)